



2026:AHC:33620

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 2272 सन् 2026

डॉ० सुरेन्द्र सिंह भदौरिया

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सरल सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सरल सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को 18.06.1986 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 31.12.2026 को सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन उसकी पेंशन को पुनरीक्षित नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा होना चाहिए।
4. बार द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन की प्रति प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्थी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 को लगता है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"